दि0 26.09.2015 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में डॉ0 श्रीकान्त चन्दोला, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की पन्द्रहवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति का विवरण :

1. श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
2. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
3. श्री जयराज, प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
4. श्री एस॰टी॰एस॰ लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
5. श्री मोनिष मल्लिक, अपर प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, विशेष आमंत्री।
6. श्रीमती रंजना काला, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड, विशेष आमंत्री।
7. श्री कपिल जोशी, मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म, उत्तराखण्ड, देहरादून, विशेष आमंत्री।
8. श्री सुशान्त पटनायक, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ करते हुये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारी समिति की पन्द्रहवीं बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 15.1:

दिनांक 06.05.2015 को सम्पन्न हुई चौदहवीं कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन:–

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 06.05.2015 को आयोजित चौदहवीं कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिये गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

समस्त सदस्यों द्वारा उक्तानुसार की गयी कार्यवाही की पुष्टि की गयी। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2015–16 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना

₹ 18528.24 लाख में क्षेत्रीय स्तर पर कराये जाने वाले कार्यों हेतु निर्धारित मदवार लक्ष्यों के अनुसार ही समस्त जोन, वृत्त तथा प्रभाग स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 15.2:

संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 की प्रगति :–

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु ₹ 18528.24 लाख की वार्षिक कार्ययोजना कार्यकारी समिति की स्वीकृति उपरान्त दिनांक 27.06.2015 को आयोजित संचालन समिति की नवम बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है। अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना का मुख्य घटकवार विवरण निम्न प्रकार है :–

(लाख ₹ में)

1. एन0पी0वी.	2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3. संरक्षित क्षेत्र	4. अन्य	5. कैट प्लान	**कुल योग**
13054.95	2806.97	117.14	535.00	2014.18	**18528.24**

साथ ही समिति को अवगत कराया गया कि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के सापेक्ष उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कुल ₹ 9032.86 लाख की धनराशि (गत वर्ष की अवशेष धनराशि को सम्मिलित करते हुये) दिनांक 15.09.2015 तक विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की जा चुकी है।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 15.3: अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रगति :–

उप मुख्य कार्यकारी अंधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2015–16 की 18528.24 लाख की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष उत्तराखण्ड कैम्पा स्तर से सितम्बर, 2015 तक कुल अवमुक्त ₹ 9032.86 लाख की धनराशि के विरूद्ध विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा कुल ₹ 3648.33 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है, जिसका मदवार सारांश निम्नानुसार है:–

(Amont in lacs Rs.)

NPV 1a -1e		Van Panchyat 1D		2 CA (Compensatory Afforestation)		3 PA (Protectet Areas)		4 Otherss		5 CAT Plan		Total	
Rele-ased	Exp	Rele-ased	Exp	Rele-ased	Exp	Rele-ased	Exp	Rele-ased	Exp	Rele-ased	Exp	Rele-ased	Exp
Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin			Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin
5127.39	2656.58	1190.00	239.69	873.15	299.40	117.14	2.60	407.44	232.38	1317.71	217.68	9032.83	3648.33

अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उक्तानुसार 40.38% की प्राप्त उपलब्धि में त्वरित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं समस्त क्रियान्वयन अभिकरण)

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति</u> 15.4:

उत्तराखंड कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति हेतु दो गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के नामांकन के सम्बन्ध में :–

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के गठन की अधिसूचना संख्या– 1922/x-2-2012-7(6)/2004 टी0सी0 दिनांक 08.11.2012 के बिन्दु सं0 –7(1) एवं बिन्दु संख्या 8(1) में क्रमशः संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर नामित किए जाने का प्राविधान है। पूर्व में उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित प्रतिनिधियों को कार्यकाल वर्ष 2012 में समाप्त हो चुका है। उत्तराखण्ड कैम्पा एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा नये सदस्यों को नामांकित किए जाने अथवा पूर्व मे नामित गैर सरकारी संगठनों को ही पुनः नामित किये जाने हेतु के सम्बन्ध में उनके द्वारा शासन को प्रेषित अनुरोध पत्रों के बारे में भी समिति को अवगत कराया गया **(संलग्नक 1)**। इसके सम्बन्ध मे समिति के सदस्यों द्वारा हैस्को जैसे गैर सरकारी संगठन के नामों पर विचार करने का सुझाव दिया गया। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष– कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु दो गैर सरकारी संगठनों को नामिति किये जाने के सम्बन्ध में स्मरण पत्रों एवं व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 15.5:</u>

<u>क्षतिपूरक वनीकरण बैकलॉग पूर्ण करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित 5 वर्षीय प्रस्ताव का अनुमोदन।</u>

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक कैम्पा योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग की एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित सूचना के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया, जिसके अनुसार वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 तक 5 वर्षों मे कुल 14369.54 है0 क्षतिपूरक वनीकरण का बैकलॉग पूर्ण किया जाना है। समिति के समक्ष क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को पूर्ण किये जाने की कार्ययोजना का वर्षवार सारांश निम्नांनुसार प्रस्तुत किया गया :–

Action plan for clearing backlog of CA within the period of 5 yeas (Unit in ha.)					
2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	Total CA to be executed (2015-16 to 2019-20)
2253.47	3029.00	3029.00	3029.00	3029.07	14369.54

प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड द्वारा उक्तानुसार भारत सरकार को प्रेषित सूचना की प्रकरणवार पुनः अध्ययन करने के सम्बन्ध में भी अपने विचार दिये गये। समिति द्वारा उक्तानुसार भारत सरकार को प्रेषित सूचना पर, इस प्रतिबंध के साथ सहमति व्यक्त की गयी कि प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार भारत सरकार को प्रेषित सूचना की पुनः जांच एवं विश्लेषण करवाया जाये एवं किसी भी प्रकार की भिन्नता की दशा में पुनः संशोधित सूचना प्रेषित कि जाये अन्यथा की स्थिति में पूर्व में प्रेषित उक्त प्रस्ताव को ही अन्तिम मानते हुये कार्यवाही की जाये।
(कार्यवाही– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय, उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 15.6: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु।</u>

- **स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष हुये विचलन को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में:–**

  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.04.2015 को आयोजित बैठक में वर्ष 2015–16 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित वृक्षारोपण की धनराशि को उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर से दिये जाने सम्बन्धी निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोज... 2015–16 में वन विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एन0पी0वी0 मद में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

  उक्त के अतिरिक्त समिति को यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 25.08.2015 को मा0 वन मंत्री जी अध्यक्षता में हुई मानव वानर संघर्ष न्यूनीकरण से सम्बन्धित बैठक में मा0 वन मंत्री जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को इस योजना के अन्तर्गत ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये। मा0 वन मंत्री जी के निर्देशों एवं बन्दर जनित समस्या के अनिवार्य एवं त्वरित निदान के उद्देश्य से बैठक मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2015–16 की स्वीकृत कार्ययोजना के 13वें वित्त आयोग की प्राविधानित ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि मे से आवंटित की गयी धनराशि के उपरान्त तत्समय शेष रह गयी धनराशि में से ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि को फिलहाल बन्दर जनित समस्या हेतु व्यय

किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। इस प्रकार वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राविधानित ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि में से वर्तमान तक इस मद में ₹ 319.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है एवं इसी मद में फिलहाल अनिवार्य व्यवस्था के अन्तर्गत बन्दर जनित समस्या हेतु ₹ 170.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जबकि प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वृक्षारोपण अनुरक्षण हेतु विभिन्न प्रभागों को धनराशि दी जानी शेष है।

सदस्यगणों द्वारा एन.पी.वी. के 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राविधानित ₹ 1000.00 लाख में से कार्य की महत्ता एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लिये गये निर्णय पर उक्तानुसार हुये आंशिक विचलन पर सामूहिक सहमति व्यक्त करते हुये, ₹ 1000 लाख मे से 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अब तक हुये ₹ 319.00 लाख के व्यय को सम्मिलित करते हुये, प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी तालिकानुसार वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण रख–रखाव हेतु विभिन्न प्रभागों को कुल ₹ 891.08 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक मे वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक–308/7–1 दिनांक 04.08.2015, **(संलग्नक–2)** जिसमें उनके द्वारा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अग्रिम मृदा कार्य/वृक्षारोपण कार्यों हेतु ₹ 253.42 लाख का प्रस्ताव दिया गया है, के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी, जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अवशेष ₹ 108.92 लाख की धनराशि को, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को (₹ 73.26 लाख वनीकरण एवं शेष ₹ 35.66 लाख अ.मृ.का.) अवमुक्त किया जा सकता है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मा0 वन मंत्री जी की बैठक में लिये गये निर्णय एवं दिये गये निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत ₹ 18528.24 लाख की वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के अतिरिक्त ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान एन.पी.वी. के अन्तर्गत मानव वन्यजीव संघर्ष/बन्दर जनित समस्या के लिये किया जाए एवं इसके अन्तर्गत कार्य की महत्ता के दृष्टिगत अब तक हुये 170.36 लाख के व्यय का भी संचालन समिति से कार्योत्तर स्वीकृति लिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

- **स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के अतिरिक्त प्राप्त प्रस्तावों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में:–**

स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अतिरिक्त विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की गयी, जिसमें समिति के समक्ष मदवार चर्चा उपरान्त कुल ₹ 3891.07 लाख के निम्न प्रस्तावों को सम्मिलित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी :–

(लाख ₹ में)

S.No.	Division Name	Component	Additional demand for 2015-16		Remarks
			Phy.	Fin.	
1.	Narendernagar Forest Division	Const. of New building	4 nos.	28.00	
		Hiring of vehicle	1 nos.	4.00	
		Repair of Bridal path/ Forest Road	6 km	25.00	
		Management of invasive Species	200 ha.	12.00	
		Resp. team to tackle man animal conflict	4 nos.	2.00	
		Rehab. Of problem animals	LS	5.00	
		Stone/ Concrete Wall at critical boundaries	4 km.	180.00	
		Strengthening of existing botanical garden 1. Sushila Tiwari herbal garden 2. Sri Dev Suman park	 1 nos. 1 nos.	 25.00 5.00	
		Road Side Plantation	1000 nos.	15.00	Rishikesh- Mana NH
		Dwarf species plant.	LS	40.00	Chaurash-Shrinagar against Elect line
		Total		**341.00**	
2.	Garhwal Forest Division	Add demand under 1a (Forest Prott.)	LS	16.61	
		Add demand under 1b (WL Management)	LS	58.00	
		Add demand under 1c (Soil and water Conservation)	LS	27.91	
		Add demand under 1e(Allied activities)	LS	10.00	
		Add demand under 1f (operational Expenses)	LS	2.50	
		Add demand under 4 other (Other activities)	LS	23.20	
		Total		**138.22**	
3.	Dehradun F.D.	Balance Add. Proposal for Malsi Deer Park, for which Rs. 60 lacs released earlier	LS	141.84	
		Add. Demand for contingency	LS	15.00	
		Add. Prop for Urban Rapid response force for Man Animal conflict. Mitigation	LS	5.00	
		Add. Facility for Creating Veterinary/Traqullizing Facility at Malsi Deer Park	LS	10.00	
		Total		**171.84**	

4.	Haridwar F.D	Add. Prop for Urban Rapid response force for Man Animal conflict. Mitigation	LS	5.00	
		Addl. Facility for Creating Veterinary/Traqullizing Facility at Chiriyapur	LS	10.00	
		Total		**15.00**	
5.	S.C Kalsi	Forest Rd. Maintenance (MLA Vikasnagar)		24.00	
		Establishing Oak & Deodar Van		28.75	
		Forest Rd Maintenance as per the WPO		25.00	
		Total		**77.75**	
6.	CEO , CAMPA, Uttarakhand	Add Demand for alternate engery for VPs		200.00	For GIM
		Add Demand for Unnat Chulha		150.00	As per direction of MNRE, Govt. of India/GIM
		Add Demand for Man animal conflict mitigation/Monkey rescue, Tng.		500.00	
		Total		**850.00**	
7.	APCCF, PFM	Add Prop for Mis Software of PFM Office		**4.00**	
8.	PCCF, Ukd. Garhwal FD	Add prop for 10 Master Nureseries Oak, shrub, Nureseries in Garhwal F.D	10 01	**500.00** **55.00**	5 Crore For GIM
9.	CCF Kumoun	For Vegetational Survey In Kumoun		**16.00**	
10.	PCCF, UK	Printing of Books		**6.00**	
11	Dehradun F.D	River Training works		157.25	
	Haridwar F.D			200.00	
	Tarai East F.D			500.00	
	Tarai West FD			117.44	
	Haldwani F.D			25.31	
		Total		**1000.00**	
12.	Nanda Devi NP	Muck Disposal		52.39	
	Kedarnath W.L.			6.97	
	Pithrogarh FD			171.72	
	Gangotri NP			65.33	
		Total		**296.41**	
13.	Gangotri NP	Demarcation	LS	**48.12**	
		Wild life management	LS	**101.73**	
14.	Tarai East Forest Div. Haldwani	Devloping State level REDD+Project in Uttrakhand		**70.00**	
15.	PCCF, Ukd.	Contingency		200.00	
		Grand Total		**3891.07**	

- उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 8 में समिति के समक्ष विभिन्न वन प्रभागों में 10 मास्टर नर्सरियों की स्थापना किये जाने हेतु ₹ 500.00 लाख का प्राविधान किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया, जिसकी व्यवस्था प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर पर प्राविधानित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक

सहमति बनी। इसी प्रकार गढ़वाल वन प्रभाग के अन्तर्गत भी देवदार नर्सरी स्थापना के लिये ₹ 55.00 लाख का प्राविधान किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया, जिसका समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

- क्रम संख्या 9 के अन्तर्गत समिति द्वारा कुमाऊ जोन में वनस्पतिक सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में गढवाल जोन के अन्तर्गत गोबिन्द पशु बिहार एवं गढवाल के अन्य क्षेत्रों में वनस्पतिक सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसकें दृष्टिगत इस तरह का सर्वेक्षण कार्य कुमाऊ जोन में भी करवाया जाना चाहिए जिस पर समिति के सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट की गयी।
- क्रम संख्या 11 के अन्तर्गत एडहॉक कैम्पा मे विभिन्न वन प्रभागों द्वारा रिवर ट्रेनिग मद मे जमा कराई गयी कुल ₹ 4430.33 लाख की धनराशि के सापेक्ष उनको अब तक अवमुक्त कुल ₹ 1473.16 लाख में से अवशेष रह गयी ₹ 2957.17 लाख की धनराशि में से कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए ₹ 1000.00 लाख की धनराशि विभिन्न वन प्रभागों को सलग्न चार्ट **(संलग्नक–3)** के अनुसार दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी, जिसकी की संचालन समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति लिऐ जाने का निर्णय लिया गया।
- इसी प्रकार क्रम संख्या 12 के अन्तर्गत एडहॉक कैम्पा मे मलवा निस्तारण हेतु कुल उपलब्ध करवायी गयी ₹ 1470.93 लाख की धनराशि के सापेक्ष विभिन्न वन प्रभागों को कुल ₹ 296.42 लाख की धनराशि को कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए संलग्न चार्ट **(संलग्नक–4)** के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी, जिसकी की संचालन समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति लिऐ जाने का निर्णय लिया गया।
- प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 242/2–37/दिनांक सितम्बर, 2015 का उल्लेख करते हुये समिति को अवगत कराया कि ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत् भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार राज्य में वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ Convergence किया जाना है, जिसमें कैम्पा भी सम्मिलित है। जिसके लिए उनके द्वारा Energy Saving Devices हेतु ₹ 500.00 लाख एवं Alternate Energy के लिए ₹ 200.00 लाख का प्राविधान कैम्पा से किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया। जिसमें उनके द्वारा कुल 105 जलागम क्षेत्रों में कार्यरत वन पंचायतों, उनके लगभग 6000 परिवारो एवं मानव वन्यजीव संघर्ष बाहुल्य क्षेत्रों में Energy Saving Devices, Alternate Energy वितरित किये जाने एवं वनाच्छादित क्षेत्र की गुणवत्ता में वृद्वि किये जाने के उद्वेश्य से उक्त तालिक के क्रम संख्या 6 एवं 8 में वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 हेतु अतिरिक्त प्रस्ताव रखा गया। जिसका समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस प्रकार बैठक की तिथि तक कुल ₹ 3891.07 लाख के अतिरिक्त प्रस्ताव उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को प्राप्त हुये जिनको समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा इन प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की गयी किन्तु इस पर निर्णय लिया गया कि इनको वर्ष 2015–16 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना में तभी सम्मिलित किया जाय जबकि अतिरिक्त प्रस्तावों को उचित माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया गया हो। कार्यकारी समिति द्वारा उक्त संशोधन प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुए वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किए जाने व अनुमोदन हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की आगामी संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

- **एफडी (वन जमा) में जमा ₹ 332.88 लाख धनराशि के संबंध में :–**

समिति के समक्ष क्षतिपूरक वनीकरण के विरूद्व विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक वन जमा के अन्तर्गत जमा धनराशि में से एडहॉक कैम्पा को जमा की जाने वाली ₹ 332.88 लाख की धनराशि का विवरण प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकार कुल वन जमा धनराशि की प्रकरण वार समीक्षा की जानी होगी। इस संबंध में सम्बन्धित वन संरक्षक इसका पुनर्वालोकन कर प्रस्ताव वार, प्रकरण वार वन जमा में उपलब्ध धनराशि की सूची को पुर्नवैद्य कर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया ताकि तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

(कार्यवाही-- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा/समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी)

- **उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के वर्ष 2014–15 की वैलेंस सीट का अनुमोदन :–**

समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2014–15 की तैयार वैलेंस सीट प्रस्तुत की गई एवं समिति द्वारा वैलेंस सीट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

- **कैम्पा निधि के अन्तर्गत कल्याण कोष की व्यवस्था :–**

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग के कार्मिकों की आकस्मिक्ता एवं अन्य कार्यो हेतु उन्हें त्वरित सहायता के रूप में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के उद्वेश्य से एक कल्याण कोष की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2009–10 से वर्तमान तक कुल ₹ 6.72 करोड के कॉरपस का प्राविधान वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना में कर दिया गया है, जिसका कि अनुमोदन संचालन समिति में किया गया है। इस कल्याण कोष की निधि का

संचालन उत्तराखण्ड कैम्पा की निम्नानुसार गठित प्रबन्धन कमेटी द्वारा किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया :–

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, एच.आर.डी.	–	सदस्य
प्रमुख वन सरक्षक, वन्य जीव	–	सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0ख0कैम्पा	–	सदस्य सचिव
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0ख0 कैम्पा	–	सदस्य
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा नामित एक पूर्व वनाधिकारी	–	सदस्य

समिति द्वारा उक्त गठित कमेटी में प्रमुख वन संरक्षक परियोजनायें, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, अपर प्रमुख/प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। कल्याण कोष के अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियों के अतिरिक्त वन विभाग के कार्मिकों के स्वास्थय बीमा, मृत्यु बीमा आदि को भी सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी विचार दिये गये। इसके अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार की तर्ज पर वन विभाग में भी इस कोष के अन्तर्गत विभाग के उन कार्मिकों को जिनकी मात्र एक बालिका/दो बालिकायें हों, उनके के लिए भी इस मद से Tution Fees, Vocational Training and other professional training इत्यादि करवाने के लिए भी व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा पुनः उक्त सुझाव के आलोक में कल्याण कोष के संचालन हेतु विस्तृत गाइडलाईन कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये, गाइडलाईन को समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत करने से पूर्व विभिन्न स्तर के वनाधिकारियों के विचारों/सुझावों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(सुशान्त पटनायक)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(डॉ0 श्रीकान्त चन्दोला)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)
वन मित्र कॉल सेंटर– 920 800 8000
5 पंचशील पार्क, चकराता रोड़, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2761077 ई–मेल: ceoukcampa@gmail.com, www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 446 /13–3(15)/2015–16/ दिनांक, देहरादून, 19 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:–446 (1)/13–3(15)/2015–16 दिनांकित।

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा।